

10096/प्रब/
15-6-15

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

1329/15-

दिनांक: 12/06/2015

संख्या आरटीआई/7187/2015-पीएमआर

कार्यालय ज्ञापन

3683

14/06/15-

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री प्रकाश कुमार साह से ग्राप्त दिनांक 2.6.2015 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 9.6.2015 को ग्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

मिस्ट्री प्रब्रह्म
(वीडियो रॉय)

अवर सचिव एवं
कंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
फँक्स: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री प्रकाश कुमार साह
ग्राम व पोस्ट ब्लॉक, पूर्णिया
विहार 854 337

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राचिकरण से सम्पर्क करें। यात्रा खर्च के संबंध में आपका अनुरोध अस्पष्ट और व्यापक है।

US(RTI)

- फॉलोइंग निम्नलिखित
- दस्तावेज उपलब्ध हैं।

M
17/6

S
17/6

Sh
17/6

7187/11/6/15

7187/11/5

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग/कार्यालय)

शनिवार, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली

- आवेदक का नाम प्रकाश कुमार साहू
- पूरा पता ग्राम व पीड़ु - बैलवा, जिला-पुरिया-854337
- माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

मई 2014 से मई 2015 तक प्रधानमंत्री की नैतिक सूची
जीते किन-किन देशों की यात्रा की हैं इनमें से किन देशों
के बीच हिप्पलाय वार्ता सफल रहा। इन यात्रा पर
एक कार का कुल किला शब्द दुर्जा है।

व्याख्यात

- मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

✓ (१) मैंने 10 रुपये (शब्दों में) दस रुपये

आ० पौ० उा० ६ तिथि 02.05.2015 को रसीद सं० 24.F.113291
से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

(२) मैं डिमान्ड डाप्ट/भुगतानादेश सं० दिनांक

जो पदाधिकारी के पक्ष में चैक
द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता है।

(३) मैंने रुपये का नन जुड़िशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबंध कर दिया) है।

(४) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :

प्रकाश कुमार साहू

ग्राम व पीड़ु - बैलवा, पुरिया

स्थान : पुरिया तिथि : 02.06.2015

नोट :- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देव नहीं है।
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

प्रकाश कुमार साहू
आवेदक का हस्ताक्षर

ई-मेल पता, अगर कोई हो:

दूरभाष संख्या 8986445974

34163
Date: 09/06/15

Last Date 14/06/15
For DPO

4214433
Jpt no. 24F 113291 FZ 10/15

जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 23 मार्च 2016

सेवा में,

श्री प्रकाश कुमार साह
ग्राम व पोस्ट वेलवा, पूर्णिया
विहार- 854337

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र क्रमांक - आरटीआई/7187/2015-पीएमआर दिनांक 02.06.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई विदेश यात्राओं एवं आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी मांगी थी।

2. आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के विषय में, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी-20 लीडर शिखर सम्मेलन (ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया 15 नवम्बर, 2014) में भाग लेने के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के द्वि-पक्षीय आधिकारिक यात्रा पर (16-18 नवम्बर, 2014) गए थे। इस यात्रा से भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुये। इस यात्रा के दौरान जिन समझौतों/ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, वे विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वैबसाइट www.meaindia.gov.in/index-hi.htm के 'प्रलेख' भाग के 'दविपक्षीय / बहुपक्षीय प्रलेख' भाग में पाये जा सकते हैं।
3. यदि आप उपरोक्त सूचना से सहमत नहीं हैं, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं।

श्रीमान पीयूष श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
विदेश मंत्रालय, कमरा संख्या 3005

जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली- 110011

दूरभाष : 49015229, ईमेल- dirsouth@mea.gov.in

(पूजा वी वेर्मेकर)

अवर सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष -49015241, ईमेल- usic@mea.gov.in

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
2. अवर सचिव, आर॰टी॰ आई॰, विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
3. अवर सचिव (DD)